राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्यप्रदेश

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)

नियम–पुस्तिका

संविदा राज्य सलाहकार के चयन के लिये

(साक्षात्कार द्वारा)

(2024-2025)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.),मध्यप्रदेश के अन्तर्गत राज्य सलाहकार के पद के लिए एम.पी. ऑनलाईन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है।

एन.एच.एम. ,म.प्र. संविदा राज्य सलाहकार के 15 संविदात्मक रिक्त पदों के लिए पात्र उम्मीद्‌वारों से भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2025 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षो की वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

संविदा राज्य सलाहकार के 15 पद का विवरण :–

पद का नाम	संविदा रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित (27%)		अनुसूचित जनजाति (20%)		अनुसूचित जाति (16%)		अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)		रिक्तियों में मध्यप्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यार्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (6%)			
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	(दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि) 1.5 %	(बहरे कम सुनने वाले) 1.5 %	(लोको मीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटेक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी) 1.5 %	(ऑटिज्म, बौद्विक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलेटी ओर मानसिक बीमारी ओर बहुविलांगता) 1.5 %
संविदा राज्य सलाहार	15	3	2	2	1	1	1	3	1	1	0	.	.	1	

- निशक्तजनों के लिये संविदा राज्य सलाहकार के रिक्तियों में से 01 पद निःशक्त के लिये आरक्षित है, जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizonatal)के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सामान्य निर्देशों ,साक्षात्कार हेतु विस्तृत जानकारी के लिऐ कृपया करे **http://www.nhmmp.gov.in/** या **http:// www.mponline.gov.in** पर जाए।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ दिनांक	01/08/2024
आवेदन पत्र त्रृटिसुधार करने की प्रारम्भ दिनांक	**06/08/2024**
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक	**27/08/2024**
आवेदन पत्र त्रृटिसुधार करने की अंतिम दिनांक	**28/08/2024**

2. शैक्षणिक और अन्य पात्रताएँः–

Essential Qualification	Weighted Marks	Remarks
A. Regular course from recognized University Degree/Diploma as follows- 1. **MBBS** 2. **BDS** 3. **Graduation in other disciplines with mandatory Post Graduate Degree/Diploma** as below: **a. Masters in Public Health (MPH)** **b. Masters in Hospital Administration/MBA in Hospital Administration** **c. Masters in Hospital Management** **d. Masters in Health Administration** **e. MBA in Health Care Management** **f. MBA in Health Informatics/Health Care IT/Health Information Technology** **g. MBA in Public Health (Health Administration)** **h. Post Graduate Diploma in Public Health Management** **i. Post Graduate Diploma in Healthcare Management** **j. Post Graduate Diploma in Hospital Administration**	**35**	• Mandate of min. 60% marks in qualifying exam - 25 marks. • Additional 01 mark for each percent secured cut-off max. upto 10 marks.
B. <u>Essential Computer Proficiency</u> **Computer proficiency with ability to work on MS Office and Data Analysis through MS Excel/R/STATA etc.**	**10**	• 10 marks based on Certificate or Degree
C. <u>Essential Work Experience-</u> • Minimum 01 year post degree clinical/social sector experience required for MBBS graduate. • Minimum 2 years post degree clinical/social sector experience required for BDS candidates. • Rest all Graduate disciplines with post Degree/Diploma experience of minimum 5 years in State Health Society/District Health Society/Development Partners working in coordination with Department of Health and Medical Education /DoWCD	**20**	• Min. 15 marks based on criteria and; • 01 mark for each additional year max. upto 5 marks.
D. <u>Desirable Qualification-</u> 1. **PhD in Healthcare/Hospital Management/Hospital Administration.**	**5**	• 05 marks on production of PhD Degree in indicated broad specialties.
E. <u>Interview</u>	**30**	
Total Marks	**100**	
Note: - ***Online and Distance learning courses will not be accepted.***		

2.1 आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नही किये जायेगें:–

- हाईस्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
- हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा की अंकसूची।
- कंडिका 2 अनुसार **शैक्षणिक और अन्य पात्रताऐं अनुसार** परीक्षा की अंकसूची एवं अनुभव प्रमाण पत्र।
- उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)
- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र एफ 07–11/2019/आप्र/1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र। (आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से उस वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च) वैध रहेगा।)
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज, आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी दस्तावेज को स्वीकार्य नही किया जावेगा।

नोटः– आवेदक आवेदन/वॉछित अपलोड करते समये आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित दस्तावेज अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित समस्त जानकारियों का स्वंय परीक्षण करने एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही फार्म को अपलोड करें, जिससे कि त्रृटि की संभावना नगण्य रहे।

2.2 योग्यता की गणना के लिये संदर्भ तिथि 01/01/2024.

3 *आयु सीमाः– 21–40 वर्ष (*आयु गणना की संदर्भ तिथि 01/01/2024)

अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन के परिपत्र कमांक सी 3–8/2016/1/3 दिनांक जुलाई 04 –2019 (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ,निशक्तःजन/ महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट)

स्पष्टीकरणः– आयु की गणना के लिए 10 वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/मार्कशीट या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो, एक वैध /संदर्भ दस्तावेज होगा औरउम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नही किया जाएगा।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीद्वारों के लिये ही होगी, यदि वे मध्यप्रदेश की निवासी है।

4. **वेतनः—**

4.1 चयन के वक्त उम्मीदवार को संविदा राज्य सलाहकार के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें **प्रतिमाह 56100/—** रूपये दिया जायेगा।

5. **आरक्षण नियमः—**

5.1 मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और आयु में छूट केवल मध्यप्रदेश के उम्मीद्वारों के अधिवास पर लागू होगी।

5.2 केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के पात्र होगें।

6. **आवेदन प्रक्रियाः—**

6.1 उम्मीद्वारों को **दिनांक 27/08/2024** तक या उससे पहले एम.पी. ऑनलाईन के वेबसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन पत्र (ओएएफ) को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गये आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा।

6.2 उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशो और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

6.3 आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [* (आस्ट्रिक) से चिहिनित)] प्रदान करना आवश्यक है।

6.4 आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

6.5 आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गये है और समापन तिथि से पहले ऑनलाईन सफलतापूर्वक जमा किए गये है। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स ''सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है'' आधे भरे हुये आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.6 एक बार ऑनलाईन फार्म जमा हो जाने के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जॉच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जॉच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन (एनएचएम की मंजूरी के आधार पर) दिये जायेगे। जॉच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाईन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी। जॉच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जॉच टिप्पणी बदल सकती है।

6.7 सुधार/अवलोकन अवधि के बाद, जन्मतिथि, श्रेणी (जैसे एस.सी.,एसटी, ओबीसी, ईडडब्लयूएस पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिये अनुरोध पर विचार नही किया जायेगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नही होगा।

6.8 **विकलांग व्यक्ति(पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगाः—**

(क) दृष्टिबाधित एवं कमदृष्टि।

(ख) बहरे कम सुनने वाले।

(ग) लोकोमीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्राफी।

(घ) ऑटिज्म बौद्विविक दिव्यंगता स्पेसफिक लर्निंग डिसेबिलेटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता।

(ड) विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. **चयन प्रक्रिया:–**

7.1 संविदा राज्य सलाहकार का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

7.2 साक्षात्कार में अभ्यार्थियों की शैक्षणिक अर्हताओं /अनुभव/ कम्प्यूटर दक्षता के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा मेरिटसूची तैयार की जावेगी, तत्पश्चात् साक्षत्कार हेतु उम्मीदवारों को एमपी ऑनलाईन एवं एनएचएम म.प्र. की आधिकारिक वेबसाईट ,एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड **http://** www.mponline.gov.inऔर http://www.nhmmp. gov.in/ साक्षात्कार की घोषणा एम.पी. ऑनलाईन एवं एन.एच.एम. की आधिकारिक वेबसाईट पर होगी।

7.8 उपरोक्त मानदण्डो के अनुसार यदि उम्मीद्वारों की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में **मिशन संचालक, एनएचएम म.प्र.** आवश्यक रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगें। दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही कम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरियता दी जायेगी:–

(i) आयु में बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

(ii) एक ही जन्मतिथि/उम्र के अभ्यर्थी होने पर, संविदा राज्य सलाहकार के पद हेतु जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है उसमें शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।

7.9 साक्षात्कार और चयन प्रकिया पूरी तरह से निष्पक्ष ओर परदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नही है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है , तो यह व्यवहारिक नहीं है, और उम्मीद्वारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिये।

7.10 उम्मीद्वार को नियमों और चयन मानदंडो का अवलोकन करना चाहिये और पद के लिये आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीद्वार चयन के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीद्वार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता हैं तो, इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीद्वारी प्रक्रिया में किसी भी बिन्दु पर अयोग्य घोषित की जाएगी।

7.11 **निर्हता/अभ्यर्थता रद्द करने का अधिकार:–**

1. साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना।
2. कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
3. रूपान्तरित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
4. किसी आवश्यक जानकारी का छिपाया जाना।
5. पुरूष अभ्यर्थी /महिला अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो।
6. कोई अभ्यर्थी जिसे 26 जनवरी 2001 के पश्चात् तीसरी जीवित संतान हुई हो।
7. अभ्यर्थी जिस पर आपराधिक मामला लम्बित है या दण्डित किया गया हो।

8. **स्थान आवंटन:–**

8.1 चयनित उम्मीदवारों को राज्य कार्यालय में कार्य आवंटित किया जाएगा।

8.3 ऑनलाईन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीदवारों को सहमत होना होगा कि "मै पूरी तरह से समझता हूँ /समझती हूँ कि उम्मीदवार के साक्षात्कार के पश्चात् मेरिट सूची रैंक के आधार पर एनएचएम म.प्र. द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रकिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार **एनएचएम म.प्र.** द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हूँ।

9. **दस्तावेज सत्यापन प्रक्रियाः–**

(क) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन राज्य कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ख) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, पंजीकरण आदि) भरते समय पूछे गये थे।

(ग) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों की उम्मीद्वारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित ToR के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल/दस्तावेज/पंजीकरण नही है, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा।

(घ) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीद्वारो को अयोग्य माना जाएगा।

(ड़) जो उम्मीद्वार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नही करेगें, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए अन्य अवसर प्रदान नही किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीद्वार को प्रदान किया जाएगा।

10. **अन्य निर्देश और दिशा निर्देशः–**

10.1 **चयनित उम्मीद्वारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्त कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता हैः–**

(क) 10वीं या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक और उम्मीद्वारों के सभी उत्तीर्ण किये हुये पाठ्यक्रम की वार्षिक/सेमेस्टर वार मार्कशीट।

(ख) नवीनतम् पासपोर्ट साईज की दो तस्वीरें।

(ग) मध्यप्रदेश के उपमंडल अधिकारी(राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र।

(घ) स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र।

(ड़) नवीनतम् चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र(जिला बोर्ड से) प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिन से अधिक पुराना नही होना चाहिए।

(छ) उपरोक्त प्रमाण पत्र/दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व को स्वीकार नही किया जाएगा।

(ञ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के नियम अपरेंटिस/आंतरिक संविदा राज्य सलाहकार के लिये लागू होगें।

(झ) गर्भवती उम्मीद्वार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय लागू होगा,ओर उपरोक्त प्रमाण पत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।

(अः) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केन्द्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(ट) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07–11/2019/आप्र/1,दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है।

11. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद और संविदा राज्य सलाहकार के रूप में नियुक्ति के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा

12 **चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकारः–**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा मिशन आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन को/सम्पूर्ण प्रक्रिया को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।

13 परिभाषाएँः–

13.1 '' चयन '' का अर्थ **संविदा राज्य सलाहकार** के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है।

परिशिष्ट–1

संविदा राज्य सलाहकार

Roles and Responsibilities:

1. Facilitate development of financial proposals for operationalization of NHM program jointly with district officials for incorporation in the state's National Health Mission (NHM) Program Implementation plan (PIP).
2. Provide technical assistance to state government for identifying and operationalizing of Health program.
3. Lead the design, implementation and monitoring of all activities to ensure necessary technical input and coordination to achieve desired results.
4. Coordinate and collaborate with other relevant program divisions in the state and other stakeholders for planning and implementation of activities for operationalization of NHM Health program.
5. Develop and produce documents like gap analysis check list, action plan, procurement plans, reports for program update and review etc. as per the program need.
6. Technically proficient with up to date skills required for the assigned task.
7. Strong written and oral communication skills in English and Hindi.
8. Ability to handle a variety of assignments under pressure of deadlines.
9. Microsoft Office computer skills, proficiency in Word, Excel, Power Point and Outlook.
10. Ability to travel up to 25% of his/her time.
11. Work under the guidance and direction of state Nodal Officer to develop year wise road map, operational plan and financial proposals for setting up of NHM health program in line with GoI guidelines.
12. Any other work assigned by Program Officer/Authority.

Reporting: The State Programme Officer of state shall be over all I/c of consultant. He/she would liaise with State Health Society NHM and Directorate of health on a regular basis. Ready to travel extensively.